

(2) सुनिश्चित रोजगार के लिये योग्यता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण योजना।

### **Skill up gradation with Job Outsourcing Scheme**

**उद्देश्य** हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को विभिन्न उद्योग इकाइयों में रोजगार गारंटी के साथ प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना।

**पात्रता** हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों से सम्बन्धित ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अथवा जिनके परिवार की मासिक आय 5000/-रु० से अधिक न हो तथा जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।

**सहायता** प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को राज्य के भीतर के उद्योग में 1500/-रु० प्रति माह तथा राज्य के बाहर के उद्योगों में 2500/-रु० प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रशिक्षण के दौरान दी जाती है। प्रशिक्षण हेतु 2000/-रु० प्रति माह प्रति कोर्स की दर से फीस सम्बन्धित उद्योग को विभाग द्वारा दी जाती है।